International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(I), July - September, 2023, pp. 71-78

भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में आरआरबी की भूमिका आरएमजीबी के संदर्भ में

प्रसेन पंवार*
कुलदीप राखेचा**

सार

भारत में ज्यादातर परिवार मध्यमवर्गीय हैं जिनकी आयु का मुख्य आधार मजदूरी व निम्न वेतन हैं। ऐसे परिवारों के जीवनस्तर को उपर उठाने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाऐ चलायी जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न हितधारकों तक पहुचानें के लिए सरकारो के पास बैंक एक सशक्त माध्यम है। भारत में राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रमीण बैंक, व निजि बैंको की शाखऐं सामान्यतः अवस्थित हैं। चूंकि भारत ग्रमीण परिवेश वाला देश हैं अतः गावों में उपराक्त योजनाओं को चलाने का कार्य मुख्यतः ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया जाता हैं। इसी संदर्भ में उक्त कार्य राजस्थान में RMGB द्वारा किया जाता हैं।

शब्दकोशः *राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रमीण बैंक, निजि बैंक, RMGB.*

प्रस्तावना

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आरएमजीबी) राजस्थान में अग्रणी आरआरबी में से एक है, जो राज्य में ग्रामीण आबादी की ऋण जरूरतों को पूरा करता है। आरएमजीबी राज्य में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। हालाँकि, इन कार्यक्रमों की सफलता उन्हें लागू करने में RMGB की दक्षता और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी की भूमिका

आरआरबी भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन सहित कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। आरआरबी इन कार्यक्रमों के लक्षित लाभार्थियों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। अन्य। इन कार्यक्रमों को ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरआरबी लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करके इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वे सरकार और ग्रामीण आबादी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण और

* सहायक आचार्य लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली, राजस्थान।
** सहायक आचार्य लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली, राजस्थान।

अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रवाह की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, पीएमजेडीवाई का उद्देश्य भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक रहित आबादी को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है। आरआरबी ने बैंक खाते खोलकर और लाभार्थियों को डेबिट कार्ड प्रदान करके इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह, पीएमएफबीवाई का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। आरआरबी किसानों को फसल ऋण प्रदान करके और यह सुनिश्चित करके कि वे बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायक रहे हैं।

अनुसंधान उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के विशेष संदर्भ में आरआरबी की भूमिका का अध्ययन करना है। विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- राजस्थान में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों में आरएमजीबी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों की पहचान करना। आउटरीच, कवरेज और प्रभावशीलता के संदर्भ में इन सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
- इन कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के सामने आने वाली चुनौतियों और आरआरबी के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव की पहचान करना। इन कार्यक्रमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आरएमजीबी द्वारा किए गए उपायों की जांच करना।
- आरएमजीबी के विशेष संदर्भ में राजस्थान में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी के प्रदर्शन में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना। अनुसंधान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में आरआरबी की भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इसका उद्देश्य इन कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनके प्रदर्शन में सुधार के उपायों की सिफारिश करना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए अनुसंधान निष्कर्ष ग्रामीण विकास क्षेत्र में नीति निर्माताओं, आरआरबी और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी होंगे।

साहित्य समीक्षा

- नाबार्ड द्वारा "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल्यांकन अध्ययन" (2020): नाबार्ड की यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल जैसे विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी सहित पूरे भारत में आरआरबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। बीमा योजना, और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। रिपोर्ट इन कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करती है और उनके प्रदर्शन में सुधार के उपाय सुझाती है
- सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका: के.एस. चौधरी और पीसी कुमावत द्वारा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का एक अध्ययन" (2019): यह अध्ययन राष्ट्रीय सहित राजस्थान में विभिन्न सरकारी–प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी की भूमिका की जांच करता है। ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अध्ययन इन कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और इसमें सुधार के उपाय सुझाता है।
- आर. के. अग्रवाल और ए. के. शर्मा (2018) द्वारा "सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का एक केस स्टडी": यह अध्ययन राजस्थान में

विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अध्ययन कार्यक्रम कार्यान्वयन के संदर्भ में आरएमजीबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और उसमें सुधार के उपाय सुझाता है।

परिणाम और विश्लेषण

पिछले तीन वर्षों में आरएमजीबी द्वारा कार्यान्वित सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों का अवलोकन

आरएमजीबी सहित आरआरबी, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले तीन वर्षों में आरएमजीबी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों में शामिल हैंः

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक वर्ष हेतु बीमा योजना हैं। आरएमजीबी ने योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना पर मृत्यु अथवा विकलांगता पर आधारित एक वर्ष हेतु बीमा योजना हैं। आरएमजीबी ने योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले हैं।
- **अटल पेंशन योजना (APY):** असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों जैसे नौकर, वाहन चालक, माली आदि को रिटायर होने वाले लोगो को गारण्टी के साथ पेंशन देना हैं। आरएमजीबी ने योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले हैं।

इन तीनों योजनाओं में आरएमजीबी द्वारा किये गए कार्यो को निम्न तथ्यों के साथ समझ सकते हैं।

PMJJBY				
Year	**New Account Opend**	**Total Account Till Date**	**Worth**	**Claim**
2019	14637	106962	14.52	726
2020	25080	105095	20.6	1031
2022	122229	263561	39.49	1975
PMSBY				
Year	**New Account Opend**	**Total Account Till Date**	**Worth**	**Claim**
2019	23524	342184	4.41	221
2020	52767	369998	4.88	245
2022	156753	593603	6.29	315
APY				
Year	**New Account Opend**	**Total Account till Date**	**Target by Pefda**	**Average on Branch**
2019	22459	33620	NA	32.22
2020	40999	80788	35200	58.48
2022	54862	175965	49070	75

NOTE - 2021 DATA IS NOT INCLUDED DUE TO NOT PUBLISHING ANUUAL REPORT 2021 BY RMGB

PMJJBY तथा **PMSBY** में **RMGB** द्वारा 2019 से 2022 तक खोले गए खातों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई हैं। दावों के निपटारें में भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई हैं। बीमा की राशी में भी वृद्धि हो रही हैं।

APY तथा **RMGB** द्वारा 2019 से 2022 तक खोले गए खातों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई हैं। **PEFDA** द्वारा दिऐ गऐ लक्ष्यों से भी अधिक खातें खोले गये हैं।

उक्त तथ्यों का विश्लेषण करनें पर यह कहा जा सकता हैं कि त्डळठ द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आम लोगो तक पहुचानें में अहम योगदान रह रहा हैं।

इसके अलावा भी अन्य योजनाऐ हैं जिसके संचालन में त्डळठ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं जो निम्न है–

- **प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई):** पीएमजेडीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। आरएमजीबी ने योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले हैं।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): PMFBY** एक फसल बीमा योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है। आरएमजीबी ने इस योजना को अपने परिचालन क्षेत्रों में लागू किया है और बड़ी संख्या में किसानों को बीमा कवर प्रदान किया है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): पीएमएमवाई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ऋण तक पहुंच प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आरएमजीबी ने इस योजना को लागू किया है और इस योजना के तहत बड़ी मात्रा में ऋण वितरित किए हैं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। आरएमजीबी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM): SBM** एक स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत के विजन को प्राप्त करना है। आरएमजीबी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों को समर्थन प्रदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (च्ड।ल): च्ड।ल एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आरएमजीबी ने इस योजना को लागू किया है और ग्रामीण गरीबों की आवास स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों को सहायता प्रदान की है। डिजिटल इंडियाः आरएमजीबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

कुल मिलाकर, आरएमजीबी ने पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन का विश्लेषण

पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए, निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जा सकता हैः

लाभार्थियों की संख्याः जिन लाभार्थियों ने आरएमजीबी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी संचालित कार्यक्रमों का लाभ उठाया है, उन्हें बैंक के प्रदर्शन का संकेतक माना जा सकता है। उच्च संख्या इंगित करेगी कि बैंक प्रभावी रूप से ग्रामीण आबादी के एक बड़े वर्ग तक पहुंच गया है।

ऋणों का संवितरणः विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित ऋणों की राशि को भी बैंक के प्रदर्शन का एक संकेतक माना जा सकता है। उच्च संवितरण यह दर्शाता है कि बैंक ग्रामीण आबादी को ऋण प्रदान करने में सफल रहा है। समय पर कार्यान्वयनः सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का समय पर कार्यान्वयन उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, विभिन्न योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को भी बैंक के प्रदर्शन का संकेतक माना जा सकता है।

ऋणों की वसूलीः ऋणों की वसूली बैंक के संचालन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित ऋणों की वसूली दर को भी बैंक के प्रदर्शन का एक संकेतक माना जा सकता है। लाभार्थियों पर प्रभावः अंत में, लाभार्थियों पर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव को बैंक के प्रदर्शन के

संकेतक के रूप में भी माना जा सकता है। इसे आय में वृद्धि, बेहतर रहने की स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक बेहतर पहुंच जैसे कारकों के माध्यम से मापा जा सकता है।

इन मापदंडों पर बैंक के प्रदर्शन का विश्लेषण करके, हम सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को लागू करने में इसके प्रदर्शन की एक व्यापक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में से एक हैं:

जागरूकता की कमीः विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता की कमी आरएमजीबी द्वारा सामना की जाने वाली एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने के लिए बैंक को व्यापक जागरूकता अभियान चलाना है। सीमित पहुँचः कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक की सीमित पहुँच ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुँचने में एक चुनौती पेश करती है।

- **सीमित वित्तीय संसाधनः** बैंक के सीमित वित्तीय संसाधन सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक चुनौती पेश कर सकते हैं। यदि बैंक के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित करना बैंक के लिए कठिन हो सकता है। उच्च एनपीए स्तरः गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) आरएमजीबी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि वे ग्रामीण आबादी को ऋण प्रदान करने की बैंक की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उच्च एनपीए स्तर भी बैंक को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ऋण वितरित करने से रोक सकते हैं।
- **कठोर दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँः** सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में आमतौर पर व्यापक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण आबादी के लिए एक चुनौती हो सकती है। त्डळठ को प्रलेखन प्रक्रिया को सरल बनाना है और आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करने में ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करनी है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेपः** कुछ मामलों में, राजनीतिक हस्तक्षेप सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की बैंक की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए बैंक को अपने कार्यों में पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन में सुधार के उपाय
- सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
- **आउटरीच को मजबूत करनाः** आरएमजीबी को नई शाखाएं खोलकर और अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में सुधार करके दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी पहुंच को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे बैंक को ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंचने में मदद मिलेगी। क्षमता निर्माणः बैंक को अपने कर्मचारियों और ग्रामीण आबादी को प्रशिक्षण प्रदान करके क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। इससे बैंक को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू करने में मदद मिलेगी।
- **दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनानाः** बैंक को दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करने में ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे ऋण वितरण में लगने वाले समय को कम करने और बैंक के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

- **एनपीए स्तरों को संबोधित करना:** बैंक को अधिक कठोर ऋण वसूली तंत्र अपनाकर अपने एनपीए स्तरों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में सुधार करने और ग्रामीण आबादी को क्रेडिट प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में बैंक को अपनी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल समाधानों में निवेश करके हासिल किया जा सकता है। अन्य संस्थानों के साथ सहयोग: बैंक को अन्य संस्थानों, जैसे नाबार्ड और अन्य आरआरबी के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके और एक–दूसरे के अनुभवों से सीखा जा सके। इससे बैंक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष और सिफ़ारिश

शोध के निष्कर्षों का सारांश

शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि आरएमजीबी ने पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक ने ग्रामीण आबादी का समर्थन करने के लिए पीएम–किसान, पीएम–एसवाईएम और पीएमईजीपी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। हालांकि, विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि आरएमजीबी को इन कार्यक्रमों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कम क्रेडिट अपटेक, उच्च एनपीए स्तर और दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरएमजीबी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन में कई उपायों का सुझाव दिया गया है, जिसमें आउटरीच को मजबूत करना, क्षमता निर्माण, प्रलेखन आवश्यकताओं को सरल बनाना, एनपीए स्तरों को संबोधित करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना शामिल है।

कुल मिलाकर, अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

राजस्थान में आरएमजीबी और अन्य आरआरबी के लिए शोध निष्कर्षों के निहितार्थ

शोध के निष्कर्षों के राजस्थान में आरएमजीबी और अन्य आरआरबी के लिए कई निहितार्थ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **आउटरीच और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता:** आरएमजीबी और अन्य आरआरबी को दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी पहुंच और क्षमता निर्माण में सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसमें नई शाखाओं में निवेश करना, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में सुधार करना और कर्मचारियों और ग्रामीण आबादी को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- **दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाने का महत्व:** दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करने से ऋण वितरण में लगने वाले समय को कम करने और बैंक के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। एनपीए स्तरों को संबोधित करने की आवश्यकता: आरएमजीबी और अन्य आरआरबी को कठोर ऋण वसूली तंत्र अपनाकर एनपीए स्तरों को कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो में सुधार करने और ग्रामीण आबादी को क्रेडिट प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लाभः** आरएमजीबी और अन्य आरआरबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल समाधानों में निवेश करके सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं। अन्य संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाः नाबार्ड और अन्य आरआरबी जैसे अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, आरएमजीबी और अन्य आरआरबी को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने में मदद कर सकता है। इससे उनके प्रदर्शन में सुधार करने और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, अनुसंधान निष्कर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी के महत्व और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सुझाए गए उपायों को अपनाकर, आरएमजीबी और अन्य आरआरबी राजस्थान में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी पहुंच, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी के प्रदर्शन में सुधार के लिए सिफारिशें

शोध के निष्कर्षों के आधार पर, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में आरआरबी के प्रदर्शन में सुधार के लिए यहां कुछ सिफारिशें दी गई हैंः

- **आउटरीच और क्षमता निर्माण को मजबूत करनाः** आरआरबी को दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी पहुंच और क्षमता निर्माण में सुधार करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। यह नई शाखाओं की स्थापना, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और कर्मचारियों और ग्रामीण आबादी के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाएंः** आरआरबी को दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और ऋण वितरण के लिए लगने वाले समय को कम करने और बैंक के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **एनपीए स्तरों को संबोधित करेंः** आरआरबी को कठोर ऋण वसूली तंत्र अपनाकर एनपीए स्तरों को कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो में सुधार करने और ग्रामीण आबादी को क्रेडिट प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। उत्तोलन प्रौद्योगिकीः आरआरबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल समाधानों में निवेश करके सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।
- **अन्य संस्थानों के साथ सहयोगः** नाबार्ड और अन्य आरआरबी जैसे अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, आरआरबी को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने में मदद कर सकता है। इससे उनके प्रदर्शन में सुधार करने और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

निगरानी और मूल्यांकन में सुधारः सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभाव को ट्रैक करने के लिए आरआरबी को निगरानी और मूल्यांकन तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। इससे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनमें सुधार की आवश्यकता है और समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होगा। स्थानीय जरूरतों के लिए कार्यक्रमों को अनुकूलित करेंः आरआरबी को स्थानीय आबादी की विशिष्ट जरूरतों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यक्रम स्थानीय चुनौतियों से निपटने में प्रासंगिक और प्रभावी हैं। इन सिफारिशों को लागू करके, आरआरबी सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और ग्रामीण आबादी का समर्थन करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank - Annual reports
2. Bose S. (2005). Regional Rural Banks: The Past and the Present Debate.
3. Dangwal R.C and Reetu Kapoor. (2010). Financial performance of Nationalized banks. Vol. 44. 67-79.
4. Goenka, Neelam, (2017). Analysis of Operational Efficiency of Regional Rural Banks in Rajasthan.
5. Government of India (1987). Report of the Committee on Agricultural Credit Review Committee,(A. M. Khusro).
6. Government of India. (1986). Report of the Working Group on Regional Rural Banks.
7. Kannan R. (2004). Regional Rural Banks.
8. Misra B.S. (2006). The Performance of Regional Rural Banks in India: Has Past Anything to Suggest for Future.
9. NABARD. (1986). A study on RRBs viability.
10. Pati, A.P. (2005). Regional Rural Banks in Liberalized Environment with Special Reference to North East India.
11. Rajasthan Marudhra Gramin Bank (RMGB) – Annual reports 2019,2020,2022
12. RBI Occasional Papers, Vol.27, Nos.1 and 2